

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 294]

भोपाल, बुधवार, दिनांक 9 अक्टूबर 2024—आश्विन 17, शक 1946

सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

संशोधित अधिसूचना

भोपाल, दिनांक 9 अक्टूबर 2024

क्र. एफ 1-5-5-0005-2024-छब्बीस-1.—दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 (2016 का 49) की धारा 101 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मध्यप्रदेश दिव्यांगजन अधिकार नियम, 2017 के नियम 17 के उपबंधों के अधीन दिव्यांगजन के पदों के चिन्हांकन के लिए संस्कृति विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 05-05-0008-2023-छब्बीस-1, दिनांक 26 फरवरी 2024 का प्रकाशन राजपत्र (असाधारण) में किया गया, उक्त अधिसूचना की अनुसूची-2 में दर्शित तृतीय श्रेणी, सहायक व्याख्याता का बहरे और कम सुनने वाले की श्रेणी हेतु चिन्हांकित 01 पद को लोको मोटर डिसेबिलिटी की श्रेणी में परिवर्तित करने की समिति सहमति प्रदान करती है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अंकिता धाकरे, उपसचिव.